संतकबीरनगर पुलिस

जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 06-09-2021**

आज दिनांक 06.09.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

छेड़खानी के मामले मे वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद में **मिशन शक्ति अभियान** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु **पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर डॉ कौस्तुभ** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक सन्तकबीरनगर **श्री संतोष कुमार सिंह** के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी मेहदावल **श्री अंबरीश भदौरिया** के निकट पर्यवेक्षण में **थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा** मु0अ0सं0 163 / 2021 धारा 323 / 324 / 504 / 506 / 354(क) भा0द0वि0 में वांछित अभियुक्त नाम पता विशाल पुत्र रामजन निवासी भेलाखर्ग खुर्द थाना बेलहरकला जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 02.09.2021 को वादिनी के साथ छेड़खानी व गाली गलौज करते हुए मारपीट की घटना कारित की गई थी, जिसके संबंध मे वादी द्वारा थाना बेलहरकला पर दिनांक 02.09.2021 को अभियोग पंजीकृत कराया गया था। महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए आज दिनांक 06.09.2021 को थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

संतकबीरनगर पुलिस

ट्रक से चोरी की गई 02 अदद बैट्री के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 282 / 2021 धारा 379 / 411 से संबंधित अभियुक्त नाम पता सुभान उर्फ सुबहान पुत्र अकबर निवासी महनुआ थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर को 02 अदद चोरी की बैट्री के साथ गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

वादी श्री जमशेद अहमद निवासी बजही थाना बखिरा द्वारा सूचना दिया गया कि दिनांक 05.09.2021 की रात्रि में खान बिल्डिंग मटेरियल राजेडीहा में उसकी दुकान के सामने खड़े उसी के ट्रक में लगी 02 बैट्रियों को अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई है जिसके संबंध मे थाना बखिरा पर मु0अ0सं0 282 / 2021 धारा 379 पंजीकृत कर विवेचना से प्रकाश मे आये उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- चौकी प्रभारी राजेडीहा उ0नि0 श्री राजीव कुमार सिंह मय हमराह।

02 अदद नाजायज चाकू के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति / वाहन चेकिंग के दौरान 02 अदद नाजायज चाकू के साथ 02 अभियुक्त नाम पता कलाम पुत्र जवाहिर निवासी साफियाबाद 2-सईद अहमद पुत्र इब्राहिम निवासी पसाई थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को क्रमशः 01-01 अदद नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार कर थाना दुधारा पर मु0अ0सं0 286 / 2021 व मु0अ0सं0 288 / 2021 धारा 4 / 25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

संतकबीरनगर पुलिस

अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की गयी कार्यवाही के अन्तर्गत 30 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 03 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 02 अभियुक्त नाम पता 1-श्रीमान पुत्र राजाराम निवासी चपरापूर्वी थाना धनघटा 2- बृजभान पुत्र नंदलाल निवासी मझगांवा थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को क्रमशः 10-10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना धनघटा पर क्रमशः मु0अ0सं0 339 / 2021 व मु0अ0सं0 340 / 2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- प्रभारी चौकी बिड़हरघाट उ0नि0 श्री अरुण कुमार पाण्डेय, हे0का0 रामप्रीत, कां0 पीयूष कुमार सिंह।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ अभियुक्त नाम पता राधेश्याम पुत्र सुंदर निवासी खटियावां थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना दुधारा पर मु0अ0सं0 287 / 2021 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- हे0का0 मिथिलेश्वर चौधरी, का0 अनूप यादव।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा वारण्टी गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा दविश के दौरान वारण्टी नाम पता विरेन्द्र चौरसिया पुत्र रामलाल चौरसिया निवासी मिश्रौलिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः चौकी प्रभारी नवीन मण्डी उ0नि0 श्री हरेश तिवारी मय हमराह।

संतकबीरनगर पुलिस

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 22 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 08 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बखिरा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1490 द्वारा विवाद मे घायल को पहुंचाया गया अस्पताल – पीआरवी 1490 को थाना धनघटा क्षेत्रान्तर्गत सोनारी से इवेन्ट संख्या 09831 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों के विवाद मे एक महिला के घायल होने के संबंध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल घटनास्थल पर 05 मिनट में पहुँचकर घायल को निजी वाहन से सीएचसी मलौली भेजवाया गया तथा घटना के संबंध मे थाना धनघटा को अवगत कराया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर घायल महिला को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ –मु0आ0 सुदामा प्रसाद, म0आ0 मानवी सिंह, हो0चा0 सुनील अग्रहरि।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 84 वाहनो से 91000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 06.09.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 84 वाहनो से 91000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।